न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–प्रथम

पीठासीन अधिकारी : **ब्रजेन्द्र जैन**

फौजदारी अपील संख्या : **674 / 2025**

सी.एन.आर. नम्बर : **RJJM010275232025**

1. सुआलाल सैनी पुत्र श्री भैरूराम सैनी, उम्र 78 वर्ष, निवासी मालियों का मोहल्ला, नया खेडा अम्बाबाडी के पीछे, जयपुर।
2. गिरधारीलाल पुत्र नवरंग लाल सैनी, उम्र 59 वर्ष, निवासी मालियों का मोहल्ला, नया खेडा अम्बाबाडी के पीछे, जयपुर।
3. राधेश्याम शर्मा पुत्र रघुनाथ शर्मा, उम्र 59 वर्ष, निवासी मालियों का मोहल्ला, नया खेडा अम्बाबाडी के पीछे, जयपुर।
4. सुरेश खाती पुत्र जगदीश प्रसाद, उम्र 64 वर्ष, निवासी मालियों का मोहल्ला, नया खेडा अम्बाबाडी के पीछे, जयपुर।
5. कपिल पुत्र सुरेश, उम्र 40 वर्ष, निवासी मालियों का मोहल्ला, नया खेडा अम्बाबाडी के पीछे, जयपुर।

———अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण

बनाम

1. रामअवतार सैनी पुत्र प्रभुनारायण सैनी, निवासी एस–10 मालियों की ढाणी, नया खेडा अम्बाबाड़ी, जयपुर।
2. राजस्थान सरकार, जरिये लोक अभियोजक, जयपुर महानगर–प्रथम।

———प्रत्यर्थीगण

फौजदारी अपील अंतर्गत धारा 374(3) दं.प्र.सं. (415 बी.एन.एस.एस.) विरूद्व निर्णय दिनांक 17.09.2025, संबंधित आपराधिक नियमित प्रकरण संख्या 1525 / 2010 (सीआईएस नं. 13724 / 2014), बउनवानी राज्य सरकार बनाम सुआलाल व अन्य, अपराध अंतर्गत धारा 147, 323, 341 व 506 भा.दं.सं., पीठासीन अधिकारी, मनीष शर्मा, आर.जे.एस, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–10, जयपुर महानगर–प्रथम

उपस्थित :–

1. श्री ईलेश जिंदल, योग्य अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण
2. प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।
3. श्री सोमेश चंद शर्मा, योग्य लोक अभियोजक वास्ते राज.राज्य

निर्णय दिनांकः 12.08.2026

1. अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण सुआलाल व अन्य द्वारा यह फौजदारी अपील विद्वान विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–10, जयपुर महानगर–प्रथम द्वारा आपराधिक नियमित प्रकरण संख्या 1525/2010 (सीआईएस नं. 13724/2014), बउनवानी राज्य सरकार बनाम सुआलाल व अन्य में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 17.09.2025 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। आक्षेपित निर्णय के अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण सुआलाल सैनी, गिरधारीलाल, राधेश्याम शर्मा, सुरेश खाती व कपिल प्रत्येक को धारा 147 भा.दं.सं. के अपराध में अधिरोपित 300/–रूपये अर्थदण्ड व अदम अदायगी अर्थदण्ड 10 दिवस के साधारण कारावास, धारा 323 भा.दं.सं. के अपराध में अधिरोपित 100/–रूपये अर्थदण्ड व अदम अदायगी अर्थदण्ड 10 दिवस के साधारण कारावास एवं धारा 341 भा.दं.सं. के अपराध में अधिरोपित 100/–रूपये अर्थदण्ड व अदम अदायगी अर्थदण्ड 10 दिवस के कारावास से दण्डित किया गया है।

2. अभियोजन के प्रकरण के अनुसार परिवादी रामअवतार सैनी ने दिनांक 11.08.2010 को एक परिवाद न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–10, जयपुर महानगर प्रथम में इस आशय का पेश किया कि दिनांक 23.07.2010 को प्रार्थी अपनी बहन के ससुराल मेहरो की नदी खवासजी का रास्ता, सुभाष चौक मिलने जा रहा था, प्रार्थी पेट्रोल लेने सम्राट सिनेमा जा रहा था, तो सुभाष चौक के सर्किल पर अभियुक्तगण पीछा करते हुए मिले तथा उसे रोक कर प्रार्थी को धमकी दी तथा उसके साथ मारपीट की, जिससे उसके शरीर पर चोटें आई तथा हत्या कर देने की धमकी दी.....आदि। उक्त परिवाद पर विचारण न्यायालय द्वारा सी.डब्ल्यू.–1 परिवादी रामअवतार सैनी, सी.डब्ल्यू.–2 हरिराम एवं सी.डब्ल्यू.–3 मनोज के बयान अन्तर्गत धारा 200 व 202 दं.प्र.सं. के तहत लेखबद्ध किए गए तत्पश्चात् अभियुक्तगण सुआलाल सैनी, गिरधारीलाल, राधेश्याम शर्मा, सुरेश खाती व कपिल के विरूद्ध धारा 147, 323, 341, 506 भा.दं.सं. के अंतर्गत विचारण न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज किया गया। पांचों अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण पर विचारण न्यायालय ने पूर्वोक्त धाराओं में

आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाए गए व परिवादी द्वारा मौखिक साक्ष्य में कुल 1 गवाह पी.डब्ल्यू.–1 रामअवतार सैनी, स्वयं को परीक्षित करवाया एवं कोई प्रलेखीय साक्ष्य प्रदर्शित नहीं करवाई गई। अभियुक्तगण द्वारा अपने बयान मुल्जिम अन्तर्गत धारा 313 सी.आर.पी.सी. में अभियोजन साक्षी के कथनों को गलत बताते हुए साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस अंतिम सुनकर दोषसिद्धि का यह आलौच्य निर्णय पारित किया गया है।

3. अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को पुनरावृत्त करते हुए जाहिर किया कि विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य का समुचित व पर्याप्त रूप से मूल्यांकन नहीं कर दोषसिद्धि का निर्णय पारित किया है, जो विधिविरूद्ध व त्रुटिपूर्ण है। अभियोजन की ओर से केवलमात्र परिवादी को ही साक्ष्य हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा भी कोई दस्तोवजी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत कर प्रदर्शित नहीं करवाई गई हैं। परिवादी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं न्यायालय के समक्ष दी गई साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास है। इसके अतिरिक्त परिवादी द्वारा घटना के 20 दिवस पश्चात न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया गया है एवं परिवादी द्वारा अपनी चोटों का मेडिकल घटना के पांच दिन पश्चात करवाया गया है। परिवादी द्वारा घटना के समय अपीलार्थीगण का कार से आना बताया गया है, किन्तु साक्ष्य में परिवादी द्वारा ना तो कार का मॉडल, नाम अथवा रंग कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है। परिवादी द्वारा परिवाद प्रस्तुति के समय दो अन्य गवाह हरिराम व मनोज को परीक्षित करवाया गया, जिनकी साक्ष्य के आधार पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान आदेश पारित किया गया था, उक्त दोनों ही गवाह न्यायालय में मुख्य परीक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं हुए, जिससे समस्त प्रकरण झूंठा व रंजिशवश होना स्पष्ट हो जाता है। अतः विचारण न्यायालय के त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष को अपास्त किया जाकर अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाए।

4. विद्वान लोक अभियोजक द्वारा बहस के दौरान यह जाहिर किया गया कि परिवादी की साक्ष्य से आरोपित अपराध पूर्णतया सन्देह से परे साबित है। विचारण न्यायालय द्वारा संपुष्ट साक्ष्य के आधार पर

अपीलार्थी–अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया गया है, जो किसी भी प्रकार से अयुक्तियुक्त या विधिविरूद्ध नहीं है। विचारण न्यायालय का दोषसिद्धि व दण्डादेश का निर्णय साक्ष्य के युक्तियुक्त विवेचन पर आधारित होने के आधार पर पुष्ट किए जाने और अपील निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

5. दोनों पक्षों को सुना गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. विचारण न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न रहा था :–

> 1. आया अभियुक्तगण ने दिनांक 23.07.2010 को सुबह 8.30 बजे सुभाष चौक सर्किल पर विधिविरूद्ध जमाव का गठन कर अपने सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में परिवादी रामअवतार सैनी का रास्ता रोककर थाप मुक्कों से मारपीट की तथा परिवादी के द्वारा थाने पर रिपोर्ट देने को लेकर उसे देखने तथा जान से मारने की धमकी दी ?

7. उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के क्रम में अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत हुई हैं, उसके अनुसार गवाह पी.ड. 1 रामअवतार सैनी, जो कि प्रकरण का आहत व परिवादी है, ने अपने बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 23.07.2010 को अपनी बहिन से मिलने जा रहा था, तब सुबह 8.30 बजे सुभाष चौक सर्किल पर कपिल, गिरधारी सैनी, सुआलाल सैनी, सुरेश जांगिड व पंडित राधेश्याम ने कार से आकर उसे रोक लिया व पांच–सात मिनट तक लातों व घूसों से उसके साथ मारपीट की, जिससे उसके सीने में बायी ओर चोट आई। उस समय हरीराम व मनोज ने उसको बचाया। उसने हरिराम के साथ जाकर मिनी सचिवालय में इलाज करवाया। इस गवाह ने अपने प्रतिपरीक्षण में परिवाद में घर से निकलने का समय, घटना का समय व घटना के समय उसके साथ कौन था, अंकित नहीं होना व उक्त समस्त तथ्य न्यायालय में बयानों में लिखवा देना स्वीकार किया है। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है परिवाद के समय दिये गये बयान सी. डब्ल्यू 1 में उसके द्वारा अभियुक्तगण का कार से आने का तथ्य अंकित नहीं करवाया गया था। साक्षी ने घटना का समय 8.30 बजे व थाने पर

जाने का समय 8.45 बजे होना अपने सी.डब्ल्यू. 1 बयानों में बताया जाना स्वीकार किया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके द्वारा परिवाद दिनांक 10.08.2010 को पेश किया गया है जबकि घटना दिनांक 23.07.2010 की है।

8. इस प्रकार उपरोक्त साक्षी की साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए निष्कर्षस्वरूप देखा जाए, तो अभियोजन द्वारा मौखिक साक्षी के रूप में मात्र परिवादी श्री रामअवतार सैनी को प्रस्तुत किया गया है एवं प्रलेखीय साक्ष्य में कोई भी दस्तावेज अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। परिवादी द्वारा अपनी मौखिक साक्ष्य में यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा उस पर कार से आकर पीछे से हमला किया व उसके साथ पांच–सात मिनट तक मारपीट की व अपने इन कथनों की पुष्टि हेतु उसके द्वारा घटना दिनांक 23.07.2010 की चिकित्सालय, मिनी सचिवालय, जयपुर की एक रोगी पर्ची अवश्य पत्रावली पर प्रस्तुत की गई है, किन्तु ना तो अभियोजन द्वारा उक्त पर्ची को न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित करवाया गया है, ना ही उक्त पर्ची लिखने वाले चिकित्सक को न्यायालय के समक्ष साक्ष्य हेतु प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार परिवादी द्वारा घटना की दिनांक 23.07.2010 को स्वयं को कारित चोटों एवं लिये गये उपचार के संबंध में कोई भी संपुष्टिकारक चिकित्सकीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। परिवादी द्वारा अपने बयानों में घटना के समय हरिराम व मनोज का उसके साथ होना व अभियुक्तगण से मारपीट होने पर उनके द्वारा बीच–बचाव किए जाने का कथन किया है, किन्तु उक्त दोनों ही चक्षुदर्शी साक्षियों को विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं करवाया है एवं ना ही उसका कोई शब्दमात्र कारण ही स्पष्ट किया है, इस प्रकार परिवादी के कथन भी किसी अन्य गवाह के द्वारा संपुष्ट नहीं हो सके हैं।

9. इसके अतिरिक्त परिवादी–साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्त का कार से उसका पीछा करते हुए उस पर पीछे से हमला कर उसके साथ मारपीट किए जाने का कथन भी किया है, यदि इस संदर्भ में पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री को देखें, तो परिवादी के द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय के समक्ष पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया गया है, जिससे घटना में प्रयुक्त वाहन के संदर्भ में कोई जानकारी प्राप्त

होती हो, यहां तक कि परिवादी द्वारा अपने बयानों में भी कार का रंग, उसका रजि. नंबर, मॉडल नम्बर अथवा वाहन का नाम तक भी प्रकट नहीं किया गया है, जिससे अभियोजन की कहानी को कोई बल नहीं मिलता हो। परिवादी द्वारा घटना के लगभग 20 दिवस पश्चात परिवाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, इस देरी के संबंध में भी परिवादी द्वारा कोई पर्याप्त स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. यदि अभियोजन की कहानी को कड़ीबद्ध रूप में देखा जाए, तो अभियोजन के द्वारा ना तो कोई स्वतंत्र साक्षी विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं, ना ही अभियोजन कहानी की पुष्टि हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, घटना का एकमात्र साक्षी परिवादी स्वयं रहा है, जिसके द्वारा भी साक्ष्य में स्वयं द्वारा प्रस्तुत परिवाद से विरोधाभासी कथन किए गए हैं, अतः इसके विश्वसनीय साक्षी नहीं समझा जा सकता है।

11. उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में परिवादी की मौखिक साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए देखा जाए, तो अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 23.07.2010 को परिवादी को रोककर उसके साथ मारपीट किया जाना संदेह से परे साबित नहीं होता है। इस प्रकार प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों व अभियोजन की साक्ष्य के प्रकाश में विद्वान विचारण न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–10, जयपुर महानगर–प्रथम द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तथ्यों व साक्ष्यों का समुचित रूप से विवेचन व मूल्यांकन नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य आई है, उससे अपीलार्थी–अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई आरोप प्रमाणित नहीं होता है एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि का निर्णय किसी प्रकार से विधिसम्मत व उचित नहीं समझा जा सकता है और यह निर्णय स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य निर्णय एवं दण्डादेश अपास्त किया जाकर अपीलार्थी–अभियुक्तगण आरोपित अपराध अपराध अंतर्गत धारा 147, 323, 341 भारतीय दण्ड संहिता के आरोपों से दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

आदेश

12. परिणामस्वरूप, अपीलार्थीगण–अभियुक्तगण सुआलाल सैनी, गिरधारीलाल, राधेश्याम शर्मा, सुरेश खाती व कपिल द्वारा प्रत्यर्थी रामअवतार सैनी व राजस्थान सरकार के विरूद्ध प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाती है तथा विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–10, जयपुर महानगर–प्रथम के द्वारा आपराधिक नियमित प्रकरण संख्या 1525/2010 (सी.आई.एस. नं. 13724/2014) बउनवानी राजस्थान राज्य बनाम सुआलाल व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 17.09.2025 अपास्त किया जाकर अपीलार्थी–अभियुक्तगण को धारा 147, 323, 341 भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से निर्दोष पाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

13. प्रत्येक अभियुक्त धारा 437(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता (481 बी.एन.एस.एस.) के अन्तर्गत इस निर्णय के विरूद्ध उच्चतर न्यायालय में याचिका प्रस्तुत होने पर अभियुक्त उच्चतर न्यायालय में उपसंजात होने हेतु 25,000/–रूपये का निजी बन्ध पत्र एवं इसी राशि की जमानत प्रस्तुत करेगा। निर्णय की प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख अविलम्ब लौटाया जाए।

(ब्रजेन्द्र जैन)
सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–प्रथम

14. निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 12.08.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ब्रजेन्द्र जैन)
सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–प्रथम

मेघेन्द्र/

MEGHENDRA PALIWAL

13.08.2026 17:13
"Stenographer Authenticated Document"